32

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 4163-एक/2016 - विरुद्ध - आदेश दिनांक 22-11-2016 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 403/2015-16 अपील

उत्तम सिंह पुत्र भगवानदास यादव
ग्राम गोविन्दपुर डेरा तहसील बड़ौनी
जिला दतिया मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1- ओमप्रकाश पुत्र बालकिशन
2- संतोष पुत्र बालकिशन
ग्राम गोविन्दपुर डेरा
तहसील बड़ौनी जिला दतिया ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बृजेश सिंह धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक के.एल.उपमन्यु)

आ दे श
(आज दिनांक 1-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 403/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-11-16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने उनके स्वामित्व की ग्राम गोविन्दपुरा श्यामलाल के डेरा के पास स्थित भूमि कुल किता 4 के बंदोवस्त के नक्शे में सुधार का आवेदन अपर कलेक्टर दतिया को प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर कलेक्टर दतिया ने प्रकरण क्रमांक 29 बी-121/14-15 पॅजीबद्ध किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनॉक 6-6-15 पारित करके नक्शा सॅशोधन के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्र.क. 403/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-11-16 से अपील पक्षकारों का असंयोजन होने, विचारण न्यायालय में पक्षकार न होने से हितबद्ध पक्षकार मानने व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति

हेतु आवेदन न देने के कारण अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने । अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्क भी प्रस्तुत किये, जिसकी प्रति आवेदक के अभिभाषक को दी जाकर 15 दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के वाद भी उनके द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों के अवलोकन से तथा अपर कलेक्टर दतिया के प्रकरण क्रमांक 29 बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनॉक 6-6-15 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 403/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-11-16 के अवलोकन से स्थिति यह है कि विचाराधीन मामले में मूल न्यायालय अपर कलेक्टर दतिया है जिन्होंने संहिता की धारा 107 के अंतर्गत आदेश दिनांक 6-6-15 पारित किया है और इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रथम अपील का निराकरण आदेश दिनांक 22-11-16 से किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में मूल न्यायालय अपर कलेक्टर/कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त / अपर आयुक्त को एंव द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होगी, जबकि आवेदक की ओर से अपील योग्य आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण का पेटा पूर्ण होकर अंतिम बहस हो चुकी है निगरानी को अपील में बदलने की प्रार्थना भी नहीं की गई है जिसके कारण द्वित्तीय पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुये अपील को निगरानी में बदलकर गुणदोष पर आदेश पारित करना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सुनवाई-योग्य न पाये जाने से गुणदोष पर आदेश पारित किये बिना इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर